न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
1. राजूदेवी पुत्री जबराराम जाति बावरी निवासी सिसरवादा, तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान हाल निवासी— बावरियों का बास, रामपुरा, पोस्ट खैरवा तहसील व जिला पाली।		1. जेठाराम पुत्र भीकाराम जाति बावरी निवासी सिसरवादा तह0 सोजत। 2. माणकलाल पुत्र डायाराम जाति सरगरा निवासी सिसरवादा तह0 सोजत। 3. जगदीशचन्द पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी सिंगपुरा तह0 सोजत 4. चम्पादेवी पत्नी जगदीशचन्द जाति मेघवाल निवासी सिंगपुरा तह0 सोजत। 5. तहसीलदार भूमिधारक सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 17/2024

उपस्थितिः—

01. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री किशन सोनी अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 4 उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक 07/11/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सिसरवादा तह0 सोजत में पुराना खसरा नंबर 233/15 रकबा 14 बीघा 9 बिस्वा एवं खसरा नंबर 233/4 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा की कृषि भूमि जिसके नये खसरा नंबर 440 रकबा 0.5050 है0, खसरा नंबर 907/444 रकबा 0.3475 है0, खसरा नंबर 908/444 रकबा 0.3475 है0 की स्थित हैं। उक्त वादस्थ भूमि प्रार्थीया के परदादा भीकाराम पुंत्र नवला के नाम खातेदारी की दर्ज थी। भीकाराम जी के निंवसीयती देहान्त के पश्चात् फौतेदगी म्यूटेशन भरा जाकर जेठाराम, लाबूराम पिसरान भीकाराम,, दाकू, टीपू पिसरान भीकाराम का नाम दर्ज हुआ। दाकू द्वारा अपना हिस्सा लाबूराम को दिनांक 04.06.2010 को हक तर्क कर दिया तथा टीपू के देहान्त के पश्चात् उनके वारिशान गणपत, पूना, ढगलाई, सुआ, लीला, इन्द्रा, सन्तोष द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा जेठाराम को दिनांक 30.03.2011 को हक तर्क किया गया। जेठाराम व लाबूराम द्वारा मनमर्जी से षड्यन्त्र पूर्वक उक्त वादस्थ भूमि का बंटवाड़ा करवा दिया गया। जेठाराम द्वारा ख.नं. 444/1 रकबा 0.6950 है0 भूमि अप्रार्थी सं0 03 व 04 को दिनांक 02.06.2023 को तथा खसरा नंबर 440 रकबा 0.5050 है0 भूमि अप्रार्थी सं0 02 को बेचान कर दिया। जो कानूनन गलत है। अप्रार्थी सं0 01 को अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान, हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अप्रार्थी सं0 03 व 04 द्वारा खसरा नंबर 444/1 का सहमति से बंटवाड़ा कर देने से क्रमशः खसरा नंबर 908/444 व 907/444 उनके नाम दर्ज हुआ। चूंकि स्व0 भीकाराम पुत्र नवला की सम्पूर्ण सम्पति संयुक्त परिवार की सम्पति हैं। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार वादस्थ भूमि में प्रार्थीनी का हक व हिस्सा स्व0 भीका पुत्र नवला के जीवनकाल में ही विधिक रूप से निहित हो गया था। प्रार्थीया अपने हक व हिस्से की कृषि भूमि के अप्रार्थी सं0

01 को किए गए उक्त बेचान को शून्य व अप्रभावी घोषित करवाने की अधिकारिणी हैं। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु एवं बेचान व अन्य हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 04 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादस्थ भूमि पुश्तैनी व पैतृक नहीं हैं, बल्कि अप्रार्थी सं0 02 से 04 की स्वयं की खरीदसुदा कृषि भूमि हैं, जो बेचान रजिस्ट्री तथा वर्तमान जमाबंदी रेकर्ड से बखूबी साबित होता हैं। वर्तमान में वादस्थ भूमि के ख.नं. 907/444, 908/444 कृषि भूमि न होकर संपरिवर्तन सुदा आबादी भूमि हैं। जिसकी सुनवाई का विधिक अधिकार न्यायालय को नहीं हैं, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में हैं। अप्रार्थी सं0 01 द्वारा संयुक्त परिवार की आवश्यकतानुसार एवं सहमति से अप्रार्थी सं0 02 से 04 को अपने जीवनकाल में बतौर खातेदार की हैसियत से उक्त कृषि भूमि का बेचान किया है, जो पूर्णतः सही बेचान किया हैं। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीया का कोई हक अधिकार नहीं आता हैं। अप्रार्थी सं0 01 द्वारा कतई अपने हक हिस्से से ज्यादा कृषि भूमि का बेचान हस्तान्तरण नहीं किया गया हैं। यदि प्रार्थीया अपने विधि विरूद्ध कृत्य में सफल होती है, तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगीं। इस प्रकार जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

बहस वकुलाय सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य को दोहराते हुए व्यक्त किया कि वादस्थ भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी व पैतृक कृषि भूमि हैं। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार वादस्थ भूमि में प्रार्थीनी का हक व हिस्सा स्व0 भीका पुत्र नवला के जीवनकाल में ही विधिक रूप से निहित हो गया था। प्रार्थीया अपने हक व हिस्से की कृषि भूमि के अप्रार्थी सं0 01 को किए गए उक्त बेचान को शून्य व अप्रभावी घोषित करवाने की अधिकारिणी हैं तथा वादग्रस्त भूमि के मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु एवं बेचान व अन्य हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया कि वादस्थ भूमि पुश्तैनी व पैतृक नहीं हैं, बल्कि अप्रार्थी सं0 02 से 04 की स्वयं की खरीदसुदा कृषि भूमि हैं, जो बेचान रजिस्ट्री तथा वर्तमान जमाबंदी रेकर्ड से बखूबी साबित होता हैं। वर्तमान में वादस्थ भूमि के ख.नं. 907/444, 908/444 कृषि भूमि न होकर संपरिवर्तन सुदा आबादी भूमि हैं। जिसकी सुनवाई का विधिक अधिकार न्यायालय को नहीं होने तथा काबिले खारिज होने से खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर व मनन किया गया। चूकिं वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी सं0 01 के नाम खातेदार दर्जसुदा थी, जिनसे अप्रार्थी सं0 02 से 04 द्वारा अलग-अलग विक्रय पत्र के जरिये खरीद की तथा बेचान के आधार पर अप्रार्थी सं0 02 से 04 का नाम राजस्व रेकर्ड में असल दरामद किया गया, तत्पश्चात् राजस्व भूमि के ख.नं. 907/444 रकबा 0.3475 है0 में से 0.2773 है0 भूमि अप्रार्थी सं0 04 के नाम आवासीय संपरिर्वतन सुदा है, इसी

उपखण्ड अधिकारी

प्रकार ख0नं0 908/444 रकबा 0.3475 में से 0.2619 है0 भूमि अप्रार्थी सं0 3 के नाम आबादी दर्जसुदा है तथा अप्रार्थी सं0 02 से 04 उपरोक्त भूमि के रेकर्डेड व वास्तविक स्वामी हैं। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही वादग्रस्थ भूमि को कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवा दिया गया था। जिसका अंकन भी प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता प्रार्थी व प्रार्थी द्वारा नहीं किया गया हैं। यद्यपि भूमि में पक्षकारो के हक अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में तनकियात कायम कर साक्ष्य सबूतों व गवाहो के बयान कलमबद्ध करके गुणावगुण पर तय किया जायेगा तथापि वर्तमान में परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध फहरिस्त मय दस्तावेजात मय शपथ पत्र से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होते हैं। प्रार्थीया क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए हैं। जिससे प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :—

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अप्रार्थीगण के विरूद्ध पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 07/11/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली